प्रेस नोट दिनाँक-22.08.2020

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को 05 लीटर कच्ची शराब व 22 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(i). उ0नि0 श्री पुष्पराज सिंह थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त करन उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र राजा यादव निवासी नोनार थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 22 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 109/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

22 अदद क्वार्टर देशी शराब

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री पुष्पराज सिंह थाना पहाड़ी
2. उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव

(ii). उ0नि0 श्री जमाल अशरफ थाना मऊ तथा उनकी टीम द्वारा नीबी रोड तिराहा से अभियुक्त रोहित सिंह पुत्र लल्लू सिंह निवासी कालूराम पुरवा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 176/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

05 लीटर कच्ची शराब

बरामदगी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री जमाल अशरफ थाना मऊ
2. आरक्षी अमित चौरसिया
3. आरक्षी हृदेश भारती

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री अजय कुमार जयसवाल चौकी प्रभारी गनीवा थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 69/2020 धारा 382 भादवि0 के वाँछित अभियुक्त मनीष पुत्र चुनकू निवासी पचपुरवन मजरा अहिरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री अजय जयसवाल प्रभारी चौकी गनीवा
2. आरक्षी नईमुद्दीन
3. आरक्षी मानवेन्द्र